प्रदूषण जांच केन्द्र

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 115(7) के प्रावधानों को लागू करने के प्रयोजनार्थ वाहन जनित प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं प्रदूषण जांच केन्द्रों को प्राधिकृत करने एवं उनके कार्य संचालन की प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु इस सम्बन्ध में राज्य सरकार, द्वारा निम्नलिखित स्कीम बनाई गई है :—

मोटर यान प्रदूषण जांच केन्द्र स्कीम—2004

1— परिभाषाएँ .— (1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) ''अधिनियम'' से तात्पर्य मोटरयान अधिनियम, 1988 (सन् 1988 का अधिनियम संख्या 59) से है,
(ख) ''नियम'' से तात्पर्य केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 से है,
(ग) ''प्ररूप'' से तात्पर्य इस स्कीम के संलग्न प्ररूप से है,
(घ) ''प्रदूषण जांच केन्द्र'' से तात्पर्य इस स्कीम के अधीन जि.प.अ. द्वारा अधिकृत केन्द्र से है,
(ङ.) ''प्रमाण—पत्र'' से तात्पर्य प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा मोटरयान स्वामी को नियम 115 के उपनियम (7) के अन्तर्गत जारी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण—पत्र से है।
(च) ''प्राधिकार—पत्र'' से तात्पर्य प्रदूषण जांच केन्द्र को मोटरयानों के प्रदूषण स्तर की जांच के सम्बन्ध में प्राधिकृत करने के लिये जारी किये गये प्राधिकार—पत्र से है,
(छ) ''प्राधिकृत अधिकारी'' से तात्पर्य जिले के जि.प.अ. से है,और जहां एक से अधिक जि.प.अ. नियुक्त है वहां प्रा.प.अ. द्वारा इस प्रयोजनार्थ मनोनीत ीन जि.प.अ. से है।

2— प्रदूषण जांच केन्द्र हेतु पात्रताएं .— (1) प्रदूषण जांच केन्द्रों के रूप में प्राधिकृत् करने हेतु निम्नांकित श्रेणी की कोई भी ऐजेन्सी आवेदन कर सकती हैः—

(क) पेट्रोल पम्प
(ख) अधिकृत वाहन डीलर,
(ग) वाहन निर्माता कम्पनी का अधिकृत वर्कशॉप स्वामी,

(घ) प्रदूषण जांच उपकरण निर्माता कम्पनी, जो सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय या उसके द्वारा अधिकृत संस्था से अनुमोदित हो, का अधिकृत एजेन्ट या डीलर या

(ड) प्रदूषण निरीक्षण उपकरण सुसज्जित मोटर यान के स्वामी।

(2) प्रदूषण जांच केन्द्र चलाने के लिए आवेदक या उसके कर्मचारी के पास न्यूनतम मेकेनिक (डीजल), मेकेनिकल (मोटर यान) का आई.टी.आई. का प्रमाण–पत्र या समतुल्य अर्हता होनी चाहिये :

परन्तु यदि आवेदक या उसके किसी कर्मचारी के पास ऑटो मोबाइल/मेकेनिकल इंजीनियरिंग में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री हो तो उसे प्राधिकार पत्र अभिप्राप्त करने में प्राथमिकता दी जावेगी।

(3) आवेदक एजेन्सी को केन्द्रीय मोटर यान नियमों के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन में मोटर यान से उत्सर्जित होने वाले धुंए और गैस की जांच के लिए स्मोक मीटर (प्रिन्टर सहित) गैस एनलाईजर (प्रिन्टर सहित) और यानों की ट्यूनिंग के लिये आवश्यक उपकरण रखना होगा।

3– <u>प्राधिकार–पत्र जारी करने की प्रक्रिया</u> .– (1) इस आदेश के अधीन प्रदूषण जांच केन्द्र के रूप में अधिकृत करने हेतु आवेदक द्वारा सम्बन्धित जिले के जि.प.अ. के समक्ष प्ररूप 1 में आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन–पत्र में पैट्रोल चलित अथवा डीजल चलित या दोनों प्रकार के वाहनों की जांच के लिये चाहे गये केन्द्र का उल्लेख किया जावेगा। आवेदन–पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज भी संलग्न किये जायेंगेः–

(क) पेट्रोल पम्प की स्थिति में सम्बन्धित पैट्रोलियम कम्पनी का अनुशंसा पत्र अथवा अधिकृत वाहन डीलर या अधिकृत वर्कशाप की स्थिति में वाहन निर्माता कम्पनी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति अथवा, प्रदूषण जांच उपकरण की निर्माता कम्पनी के अधिकृत डीलर या एजेन्ट की स्थिति में ऐसी निर्माता कम्पनी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति, मोबाइल प्रदूषण जांच केन्द्र की स्थिति में आवेदक के नाम पंजीकृत् एवं प्रदूषण जांच मशीन से सुसज्जित वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति

(ख) गैस ऐनेलाईजर (प्रिन्टर सहित) एवं स्मोक मीटर (प्रिन्टर सहित) जो केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 115 एवं 116 की अपेक्षाओं के अनुरूप हों, के क्रय के दस्तावेजों की प्रतियां,

अथवा

इस आशय की अण्डरटेंकिग कि प्राधिकार–पत्र जारी होने के 15 दिन के भीतर वह उक्त उपकरण क्रय कर दस्तावेजों की प्रतियों राज्य सरकार को प्रस्तुत कर देगा।

(2) आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर जि.प.अ. द्वारा प्राधिकार पत्र प्रारूप 2 मे जारी किया जायेगा।

(3) प्राधिकृत् पत्र प्रदान करने की फीस 1000/– रूपये प्रति केन्द्र अर्थात् डीजल चलित एवं पेट्रोल चलित वाहनों के लिए पृथक्–पृथक् प्रभारित की जाएगी। यदि एक ही आवेदक डीजल चलित एवं पेट्रोल चलित वाहनों की प्रदूषण जांच के लिए आवेदन करता है तो डीजल चलित व पेट्रोल चलित एवं वाहनों की जाचं के लिए पृथक्–पृथक् प्राधिकार पत्र जारी किये जाएंगे। पेट्रोल, सी.एन.जी. व एल.पी.जी. चलित वाहनों के प्रदूषण मानदण्ड समान होने के कारण पेट्रोलचलित वाहनों की प्रदूषण जांच करने वाले केन्द्र सी.एन.जी. व एल.पी.जी. चलित वाहनों की प्रदूषण जांच भी कर सकेंगे।

(4) राज्य सरकार जिले में रजिस्ट्रीकृत् मोटर यानों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र में प्रदूषण जांच केन्द्रों की अधिकतम संख्या निर्धारित कर सकेंगी।

4– <u>प्राधिकार पत्र की समयावधि एवं नवीनीकरण</u> .– (1) प्रदूषण जांच केन्द्र के लिए जारी किया गया प्राधिकार पत्र एक वर्ष के लिए विधिमान्य होगा और उसे राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष की कालावधि के लिए नवीनीकृत् किया जा सकेगा।

(2) प्राधिकार पत्र के नवीनीकरण हेतु 1000/– रूपये फीस ली जावेगी। नवीनीकरण आवेदन निर्धारित फीस के साथ विधिमान्यता की कालावधि के समाप्त होने के पूर्व 30 दिन समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा। विधिमान्यता की कालावधि के समाप्त होने के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आवेदन पर विलम्ब के कारण रूपये 100 रूपये प्रतिमाह अथवा माह के भाग के लिये जमा किया जायेगा।

(3) जि.प.अ. द्वारा किसी जाँच केन्द्र को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् लिखित में दिये गये कारण से जांच केन्द्र के प्राधिकार पत्र के नवीनीकरण से इन्कार किया जा सकता है।

(4) प्राधिकृत/प्रदूषण जांच केन्द्र का स्वामी अपना प्राधिकार पत्र किसी भी समय जि.प.अ. को समर्पित कर सकेगा और ऐसे समर्पण के दिनांक से वह प्राधिकार पत्र निरस्त माना जायेगा परन्तु केन्द्र द्वारा जमा करायी गयी कोई राशि वापिस नहीं की जायेगी और अनुपयोगी जारी किये जाने वाले प्रदूषण प्रमाण पत्र मय स्टीकर विभाग को वापस लौटाने होंगे।

5– <u>प्राधिकार पत्र का निलंबन/रद्दकरण</u> .– यदि जि.प.अ. या प्राधकृत अधिकारी को यह समाधान हो जाता है कि इस आदेश के अधीन प्राधिकृत् कोई प्रदूषण जांच केन्द्र, अधिनियम या उसके अधीन बनाये गए नियमों के उपबन्धों तथा प्राधिकार पत्र की शर्तों का अनुपालन नहीं करता है तो राज्य सरकार ऐसी जांच, जैसा कि वह उचित समझे, करने के पश्चात् और प्राधिकार पत्रधारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, आदेश द्वारा प्राधिकार पत्र को रद्द/निलंबित कर सकेगी।

6– <u>अपील प्राधिकारी</u>. – मोटर वाहन प्रदूषण जांच के केन्द्र स्कीम 2004 की धारा 4 (3) 5 के अन्तर्गत नवीनीकरण से इंकार करने, निलम्बन करने, रद्दकरण की स्थिति के प्रा.प.अ. अपील सुनने वाला प्राधिकारी होगा।

7– <u>प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र</u> .– (1) प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र पेट्रोल चलित वाहनों के लिए प्ररूप 3 में तथा डीजल चलित वाहनों के लिए प्ररूप 4 में प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र जारी करेगा जो 6 मास के लिये विधिमान्य होगा।

(2) प्रमाण पत्र एवं स्टीकर जारी करने के लिए प्राधिकृत् प्रदूषण जांच केन्द्र का स्वामी यान के स्वामी से निम्नलिखित दरों पर फीस प्रभारित करेगा :–

(क) पैट्रोल चलित दो पहिया वाहनों के लिये प्रति वाहन	15/– रू.
(ख) पैट्रोल चलित 3 पहिया वाहनों के लिये प्रति वाहन	25/– रू.
(ग) पैट्रोल चलित 4 पहिया वाहनों के लिये प्रति वाहन	20/– रू.
(घ) डीजल चलित समस्त वाहनों के लिये प्रति वाहन	40/– रू.

(3) प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र के साथ स्टीकर भी जारी किया जाएगा। जिसका चार पहिया/तिपहिया यान के विन्डस्क्रीन पर चिपकाने के लिए प्रदाय किया जाएगा। दुपहिया वाहन में स्टीकर वाहन की बॉडी के सामने के भाग पर चिपकाया जावेगा।

8– <u>प्रदूषण जांच केन्द्र का निरीक्षण</u> .– (1) परिवहन विभाग का कोई भी अधिकारी जो परिवहन उप निरीक्षक से निम्न स्तर का नहीं हो अपने क्षेत्राधिकार में कार्यरत प्रदूषण जांच केन्द्र का निरीक्षण कर सकेगा और ऐसे प्रत्येक निरीक्षण की निरीक्षण रिपोर्ट संबंधित जिला/प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को भेजेगा।

(2) निरीक्षण अधिकारी, निरीक्षण के दौरान यह निरीक्षण करेगा कि अधिनियम, उसके अधीन बनाये गये नियमों और प्राधिकार पत्र की शर्तों का अनुपालन, प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा किया जा रहा है या नहीं।

9– <u>रजिस्टर का संधारण</u> .– (1) सम्बन्धित जिले के जि.प.अ. द्वारा प्राधिकृत् किये गए प्रदूषण जांच केन्द्रों के ब्यौरे, प्ररूप 5 में रजिस्टर में संधारित किये जायेंगे।

(2) प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 7 दिवस के भीतर वाहनों के प्रदूषण जांच कार्य का विवरण प्ररूप–6 में जि.प.अ. कार्यालय को भेजा जावेगा।

10– <u>निर्देशों का अनुपालन</u> .– राज्य सरकार अथवा परिवहन आयुक्त इस आदेश के सुचारू रूप से संचालन की दृष्टि से प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्रों को समय–समय पर आवश्यक निर्देश दे सकेंगे और ऐसे प्रसारित निर्देशों का पालन प्रदूषण जाँच केन्द्र के लिए बंधनकारी होगा।

11– <u>अपील का तरीका</u> – अपील एक ज्ञापन के रूप में दो प्रतियॉ में होगी, जिसमें जि. प.अ. के आदेश के विरूद्ध एतराज के आधार दिये जाऐगें और उसके साथ जिस आदेश की अपील की गई है, उसकी मूल प्रति या प्रमाणित प्रति संलगन करनी होगी एवं राज. मो. या. नियम 1990 के नियम 2.29 मै बताई गई समुचित फीस देनी होगी।

प्ररूप– 1

(देखे पैरा 3 (1))

<u>प्रदूषण जांच केन्द्र के लिए आवेदन का प्रारूप</u>

1.	आवेदक एजेंसी का नाम	....
2.	आवेदक एजेंसी के स्वामी का नाम (पिता/पति का नाम)	....
3.	पूर्ण डाक पता	....
4.	जांच केन्द्र हेतु क्या पैट्रोलियम कंपनी ने अनुशंषा की है, अथवा अधिकृत वाहन डीलर अथवा अधिकृत वर्कशॉप के स्वामी है अथवा वाहन प्रदूषण जांच उपकरण निर्माता कम्पनी के अधिकृत डीलर/एजेंट है ? (यदि हां तो, प्रमाण संलग्न करें)	....
5.	आवेदक के पास उपलब्ध मैंक और पूर्ण विशिष्टियों सहित गैस एनलाइजर स्मोक मीटर (प्रिंटर सहित) का विवरणः– (क्रय दस्तावेजों की प्रतियां अथवा क्रय करने की अण्डरटेंकिग संलग्न करें)	1. .... 2. ....
6.	वाहनों की सर्विस और ट्यूनिंग के लिए उपलब्ध मशीनरी और उपकरण	1. .... 2. .... 3. .... 4. ....
7.	वाहनों का वर्ग जिनकी जांच बाबत प्राधिकारपत्र प्राप्त करने का आवेदन किया जा रहा हैः–(डीजल चलित अथवा पैट्रोल चलित अथवा दोनों प्रकार)	....
8.	आवेदक के अधीन कार्यरत स्टाफ एवं उसकी योग्यता (प्रमाण पत्र संलग्न करें) (क) मैनेजर (ख) फोरमैन/इंजीनियर . (ग) मैकेनिक (घ) हैल्फर (ड) अन्य प्रशासनिक स्टाफ	 ....
9.	क्या गैस एनालाइजर/स्मोक मीटर को चलाने वाला स्टाफ प्रशिक्षित है (विवरण देवे)	....
10.	वाहन जांच रिपोर्ट को अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति का नाम, उसके नमूना हस्ताक्षर सहित।	....

स्थानः — **आवेदक के हस्ताक्षर एवं**

तिथिः — आवेदक का नाम

शर्तें :–

1. प्रदूषण जांच केन्द्र को मोटर यान अधिनियम, 1988, इसके अधीन बने नियमों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
2. प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा केवल वही गैस एनालाइजर/स्मोक मीटर प्रदूषण जांच में प्रयुक्त लिये जायेंगे जो मोटर यान नियम, 1989 के नियम 116(3) के अंतर्गत अधिकृत संस्था से अनुमोदित हो।
3. प्रदूषण जांच यंत्र के साथ प्रिन्टर का उपयोग आवश्यक रूप से किया जावे। प्रिन्टर से प्राप्त रिपोर्ट में निकलने वाली गैस का रिकार्ड आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए तथा उस रिकार्ड के आधार पर वाहन में आवश्यक सुधार किये जाने के पश्चात ही प्रमाण पत्र एवं स्टीकर जारी की जावे।
4. प्रदूषण जांच केन्द्र परिवहन विभाग द्वारा ही अधिकृत की गयी रसीद बुक, स्टीकर एवं अन्य सम्बन्धित स्टेशनरी प्रयुक्त करेगा।
5. वाहन की जांच के बाद जारी प्रमाण पत्र के साथ उत्सर्जित गैस का प्रिन्टेड विवरण भी लगाया जायेगा।
6. यदि किसी समय एक्जास्ट गैस एनालाइजर/स्मोक मीटर आदि उपकरण केन्द्रीय मोटर यान नियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप चालू हालत में न हों तो मोटर यानों की जांच का कार्य निलंबित कर दिया जाएगा और वाहन स्वामियों को प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जायेंगे।
7. एक्जास्ट गैस एनलाइजर/स्मोक मीटर से जांच का कार्य केवल इस बाबत प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी द्वारा ही किया जाएगा और प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर केवल उस अधिकृत व्यक्ति द्वारा किये जाएंगे जिसके नमूने के हस्ताक्षर क्षेत्र के प्राधिकृत अधिकारी को पूर्व में ही उपलब्ध कराये जा चुके हों।
8. अधिकृत जांच केन्द्र द्वारा केवल ऐसे वाहनों को जांच के उपरांत प्रमाण–पत्र जारी किए जा सकेंगे जो केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 115 के प्रावधानों के अनुरूप हो, ऐसे किसी भी वाहन को जो नियम 115 के उपबन्धों के अनुरूप न हो, प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
9. अधिकृत जांच केन्द्र वाहन स्वामी से प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित फीस की रकम ही वसूली करेगा।
10. अधिकृत जांच केन्द्र प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 10 दिन के भीतर संबंधित प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय को प्ररूप ''6'' में एक त्रैमासिक विवरण भेजेगा।
11. अधिकृत जाँच केन्द्र वाहन स्वामियों की शिकायतों एवं उनके सुझाव प्राप्त करने हेतु एक ''शिकायत/सुझाव पुस्तिका'' रखेगा जो वाहन स्वामी द्वारा मांग किए जाने पर उसे सुझाव/शिकायत अंकित करने के लिए उपलब्ध करायेगा।
12. प्राधिकृत जांच केन्द्र द्वारा परिसर के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत अधिकारियों को निरीक्षण हेतु सुविधा, आवश्यक अभिलेख एवं सहयोग दिया जाएगा।
13. यदि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त/निलंबित कर दिया जाता है तो वाहनों को प्रमाण–पत्र जारी करने का कार्य तत्काल बंद कर दिया जाएगा।
14. LPG / CNG चलित वाहनों में अधिकृत् किट लगे होने पर ही प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र जारी किये जावें अन्यथा नहीं।

Form 3
[See para 6 (1)]
Pollution Under Control Certificate

FOR PETROL/CNG/LPG VEHICLES ONLY

[Approved by Department of Transport, Government of Rajasthan, Jaipur] **No.B / P**

It is certified that the Vehicle No. _________________ Make ______________ conforms the emission level of exhaust to the standards prescribed under Rule 115(2) of Central Motor Vehicles Rules, 1989. This Certificate is valid upto _________________

		Permissible Limit	Before Setting	After Setting
Co Emmission Limit For Petrol Driven Vehicle	2/3 Wheeler	4.5% By Volume		
	4 Wheeler	3% By Volume		

Name of the Centre :

Dealer's Code :

Testing Fee Charged ___________

POLLUTION UNDER CONTROL BENEFITS

Date of Testing ______________________

1. Increase Fuel Efficiency.
2. Increase Engine Life.
3. Save Environment.

Signature of Authorised Person

(Name With Seal)

(In case of any complaint, please write to Transport Commissioner, Govt. of Rajasthan, Sahkar Marg, Jaipur)

ADVISE TO RE-CHECK AFTER 90 DAYS

Form 4
[See para 6 (1)]
Pollution Under Control Certificate

FOR DIESEL VEHICLES ONLY

[Approved by Department of Transport, Government of Rajasthan, Jaipur] **No.**

It is certified that the Vehicle No. _________________ Make ______________ conforms the emission level of exhaust to the standards prescribed under Rule 115(2) of Central Motor Vehicles Rules, 1989. This Certificate is valid upto _________________

		Permissible Limit	Before Setting	After Setting
Smoke Density for Diesel Driven Vehicle	Smoke Density	65 Hartridge Units		
	CO	14 gm/KWH		
	HC	3.5 gm/KWH		
	NO	18 gm/KWH		

Name of the Centre :

Dealer's Code :

Testing Fee Charged ___________

Date of Testing _____________

POLLUTION UNDER CONTROL BENEFITS

1. Increase Fuel Efficiency.
2. Increase Engine Life.
3. Save Environment.

Signature of Authorised Person

(Name With Seal)

(In case of any complaint, please write to Transport Commissioner, Govt. of Rajasthan, Sahkar Marg, Jaipur)

ADVISE TO RE-CHECK AFTER 90 DAYS.

प्ररूप–6
(देखें पैरा 8(2))

प्रदूषण जांच केन्द्र की त्रैमासिक रिपोर्ट

त्रैमास के लिए रिपोर्ट ....
प्राधिकृत जाँच केन्द्र का नाम ....
प्राधिकृत जाँच केन्द्र का कोड नम्बर ....

(संख्या में)

			प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी किया				
वाहन की श्रेणी		कुल जांच किये गये वाहन	प्रथम जांच के बाद	सुधार के बाद	योग	वाहन जिन्हें प्रमाण पत्र नहीं दिया गया	विशेष विवरण
चार पहिया	पेट्रोल डीजल						
तीन पहिया	पेट्रोल डीजल						
दो पहिया	पेट्रोल डीजल						
सी.एन.जी.							
एल.पी.जी.							
योग							

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम मय सील एवं हस्ताक्षर